रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2168] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 5, 2016/भाद्र 14, 1938
No. 2168] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 5, 2016/ BHADRA 14 , 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2016

(आयकर)

का. आ. 2865(अ).—जबकि, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मालदीव्स गणराज्य की सरकार के बीच एक करार (जिसे इसके बाद कथित करार कहा गया है) जैसा कि इस अधिसूचना के अनुबंध में दिया गया है, पर दिल्ली में 11 अप्रैल, 2016 को हस्ताक्षर किए गए थे;

और जबकि, उक्त करार 2 अगस्त, 2016 को प्रवृत्त हुआ था, जो कि उक्त करार के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 2 के अनुसार, उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों द्वारा यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना की तारीख है;

इसलिए, अब आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि इसके साथ अनुबंध के रूप में संलग्न उपर्युक्त करार के सभी उपबंध, भारत संघ में कथित करार के अनुच्छेद 12 के अनुरूप लागू किए जाएंगे।

अनुबंध

करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए

भारत गणराज्य की सरकार

तथा

मालदीव्स गणराज्य की सरकार

के बीच करार

भारत गणराज्य की सरकार एवं मालदीव्स गणराज्य की सरकार, करों के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने की इच्छुक होकर, इस प्रकार सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1

करार का उद्देश्य और क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु व्यवहार्य रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए व्यवहार्य रूप से सुसंगत हो। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और अनुच्छेद 8 में दिए गए तरीके में इसको गोपनीय माना जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद 2

क्षेत्राधिकार

अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

शामिल कर

1. वे कर, जो इस करार के अध्ययीन हैं:

   क) भारत में केन्द्र सरकार अथवा राजनैतिक उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाये गये प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर इस पद्धति पर ध्यान दिये बिना कि वे किस तरह वसूले गये हैं।

   ख) मालदीव्स में, कानून के अनुसार सरकार द्वारा लगाये गये प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के कर इस पद्धति पर ध्यान दिये बिना कि वे किस तरह वसूले गये हैं;

2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए ऐसे ही अथवा पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगी। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी कराधान में तथा और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में, जो इस करार के अनुसरण में उस पक्षकार की बाध्यताओं को प्रभावित कर सकते हों, एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए।

क) "भारत" शब्द से अभिप्रेत है - भारत का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र और उसके ऊपर के वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिनमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित भारतीय कानून तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

ख) "मालदीव्स" शब्द से अभिप्रेत है - मालदीव्स का राज्यक्षेत्र और इसमें राज्यक्षेत्रीय समुद्र, महाद्वीपीय शेल्फ, समुद्र तल, उपमृदा (और उसके प्राकृतिक संसाधन) और वायुमंडलीय क्षेत्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य समुद्री क्षेत्र शामिल है जिसपर मालदीव्स के कानून तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार मालदीव्स के प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हैं;

ग) शब्द "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा मालदीव्स, जैसा भी संदर्भ अपेक्षित हो; से है;

घ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है;

(i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;

(ii) मालदीव्स के मामले में, मालदीव्स अंतर्देशीय राजस्व प्राधिकारी, अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि;

ड.) "व्यक्ति" शब्द में कोई व्यष्टि, कोई कम्पनी, व्यक्तियों की कोई संस्था और कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित संविदाकारी पक्षकारों में प्रवृत्त कराधान कानूनों के तहत एक कराधेय इकाई के रूप में समझा जाता है;

च) "कम्पनी" शब्द से कोई निगमित निकाय अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय के रूप में माना जाता है;

छ) "सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी" से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यता-प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर "जनता द्वारा" क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ज) "शेयरों का प्रमुख वर्ग" से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी के मूल्य के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

झ) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से तात्पर्य है;

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज;

(ii) मालदीव्स में, मालदीव्स स्टॉक एक्सचेंज; और

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों।

ञ) "सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;

ट) "सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना" से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनिटों, शेयरों अथवा अन्य हितों को "जनता द्वारा" सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ठ) "कर" से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;

ड) "अनुरोधकर्ता पक्ष" से तात्पर्य, संविदाकारी पक्ष से है-

(i) जो सूचना हेतु कोई अनुरोध प्रस्तुत कर रहा हो, या

(ii) अनुरोधित पक्ष से सूचनाएं प्राप्त कर चुका हो।

ढ) "अनुरोधित पक्ष" से तात्पर्य, संविदाकारी पक्ष से है-

(i) जिससे सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, या

(ii) जिसने सूचनाएं उपलब्ध करा दी हैं।

ण) "सूचना एकत्र करने वाले उपाय" से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

त) "सूचना" से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो;

थ) "राष्ट्रिक" शब्द से अभिप्रेत है:

(i) किसी एक संविदाकारी पक्ष की राष्ट्रीयता धारण करने वाला कोई व्यक्ति;

(ii) कोई विधिक व्यक्ति, भागीदारी और संस्था, जिसे अपनी इस तरह की हैसियत किसी संविदाकारी पक्ष में प्रवृत्त कानूनों से प्राप्त होती हो;

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-11 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष

के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

अनुच्छेद 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोधित पक्ष अनुरोध पर अनुच्छेद 1 में संदर्भित प्रयोजनार्थ सूचना उप्लब्ध करवायेगा। ऐसी सूचना का इस बात पर ध्यान दिए बिना आदान प्रदान किया जाएगा कि अनुरोधित पक्ष को उसके अपने कर प्रयोजनार्थ इस सूचना की आवश्यकता है या नहीं अथवा जांचाधीन व्यवहार अनुरोधित पक्ष के कानूनों के तहत अपराध माना जाएगा या नहीं यदि ऐसा व्यवहार अनुरोधित पक्ष के यहां हुआ हो।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्न को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, नामितियों या न्यासियों सहित, द्वारा धारित सूचनाएं;

ख) कम्पनियों के कानूनी और लाभग्राही स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद-2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, न्यासियों और लाभग्राहियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचनाएं; तथा ऐसी सत्ताओं के बारे में समकक्ष सूचनाएं जो न तो सामूहिक निवेश निधियां या स्कीमें हैं, और न ही न्यास या फाउंडेशन ही हैं।

5. यह करार संविदाकारी पक्षों पर सार्वजनिक व्यापार वाली कंपनियों या सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों या योजनाओं की स्वामित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने या उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं डालता, जब तक कि ऐसी सूचनाएं बिना गैर-समानुपातिक कठिनाई उत्पन्न किए प्राप्त की जा सकती हों।

6. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की अनुमानित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचनाएं लिखित में उपलब्ध कराएंगे :

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

ख) वह अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे अनुरोधित पक्ष से प्राप्त करना चाहता है;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

ड.) यह विश्वास करने के कारण कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

च) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है; और

छ) एक विवरण यह बताते हुए कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्त्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्त्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है;

ज) यह विवरण देते हुए कि अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

7. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न कार्य करेगा :

क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;

ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी असमर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी स्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा ।

अनुच्छेद 6

विदेश में कर जांच

1. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष के क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है जो घरेलू कानूनों के अन्तर्गत अनुमत्त सीमा तक है ताकि वैयक्तिक अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से वैयक्तिक का साक्षात्कार लिया जा सके तथा रिकार्डों की जांच की जा सके। अनुरोधकर्त्ता पक्ष का सक्षम

प्राधिकारी, अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अधिसूचित करेगा।

2. एक संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी, प्रथमोल्लिखित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को द्वितीयोल्लिखित में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकते हैं।

3. यदि पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदिष्ट अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय, जांच संचालित करने वाले पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद 7

सूचना हेतु अनुरोध को ठुकराने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्न के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है:

   क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; अथवा

   ख) जहां अनुरोधकर्त्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा

   ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा ।

2. यह करार एक संविदाकारी पक्ष पर निम्न बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा:

   क) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जिससे कोई व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक, राज़ अथवा व्यापारिक प्रक्रिया प्रकट होती हो, बशर्ते अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचनाओं को सिर्फ इस कारण से गुप्त अथवा व्यापारिक प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा कि यह उस पैराग्राफ के मानदंडों को पूरा करती है; अथवा

   ख) सूचनाएं प्राप्त करना अथवा प्रदान करना जो एक ग्राहक तथा अधिवक्ता, प्रतिवक्ता अथवा अन्य स्वीकृत वैध प्रतिनिधि के बीच गोपनीय संप्रेषण को व्यक्त करेगा जहां ऐसे संप्रेषण :

      (i) कानूनी परामर्श की मांग करने के प्रयोजनों हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं अथवा

      (ii) मौजूदा अथवा अपेक्षित कानूनी प्रक्रियाओं में प्रयोग के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किये गये हैं।

   ग) संविदाकारी पक्ष के कानूनों तथा प्रशासनिक पद्धतियों की भिन्नता में प्रशासनिक उपाय करना, बशर्ते इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद-5 के पैराग्राफ-4 के अन्तर्गत संविदाकारी पक्ष के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. अनुरोधित पक्ष को उन सूचनाओं को प्राप्त करना अथवा प्रदान करना अपेक्षित नहीं होगा जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष अपने स्वयं के कर कानूनों के प्रशासन अथवा प्रर्वतन के प्रयोजनार्थ अपने स्वयं के कानूनों के तहत अथवा इस करार के अन्तर्गत अनुरोधित पक्ष से वैध अनुरोध की प्रतिक्रिया में उन्हीं परिस्थितियों में प्राप्त करने में असक्षम होगा।

5. अनुरोधित पक्ष केवल इस कारण से सूचनाएं प्रदान करने से मना नहीं करेगा क्योंकि उक्त अनुरोध में अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत अपेक्षित सभी सूचनाएं शामिल नहीं होती है यदि सूचनाएं अनुरोधित पक्ष के कानून के अनुसार अन्यथा प्रदान की जा सकती है।

6. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा अनुरोधकर्ता पक्ष के कर कानून के ऐसे उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में अनुरोधकर्ता पक्ष के एक राष्ट्रिक की तुलना में पक्षपात करता है।

अनुच्छेद 8

गोपनीयता

इस करार के तहत एक करारित पक्ष द्वारा प्राप्त किसी सूचना को गोपनीय माना जाएगा तथा वह सूचना केवल उन व्यक्तियों या प्राधिकरणों (न्यायालयों और प्रशासनिक निकायों सहित) को दी जा सकती है, जो करारित पक्ष के क्षेत्राधिकार में इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के निर्धारण अथवा संग्रहण, उनसे संबंधित प्रवर्तन या अभियोजन, या उनसे संबंधित अपीलों के निर्धारण से संबंधित हों। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। यह सूचना प्रार्थित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति अथवा इकाई अथवा प्राधिकारी अथवा किसी अन्य क्षेत्राधिकारी को प्रकट नही की जा सकती।

अनुच्छेद 9

प्रशासनिक लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यधीन, सहयोग देने में (मुकदमेबाजी के सम्बंध में अथवा अनुरोध के अनुपालन में अन्यथा आवश्यक बाह्य परामर्शदाताओं को नियुक्त करने की लागत सहित) उपगत असाधारण लागतों को, यदि वे 500 डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्त्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या अनुरोधकर्त्ता पक्ष अनुरोध करना जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।

3. इस अनुच्छेद के सम्बंध में जब भी आवश्यक हो सक्षम अधिकारी एक दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे।

अनुच्छेद 10

कार्यान्वयन के विधान

संविदाकारी पक्ष करार की शर्तों का अनुपालन करने और प्रभाव देने में जरूरी कोई कानून बना सकते हैं।

अनुच्छेद 11

पारस्परिक करार की विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद 5, 6 तथा 9 के अन्तर्गत प्रयोग करने के लिए प्रक्रियाओं पर परस्पर सहमत हो सकते हैं।

2. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत करेंगे।

अनुच्छेद 12

प्रवृत्त होना

1. संविदाकारी पक्षकार इस करार को लागू करने के लिए अपने-अपने कानूनों के अंतर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए राजनयिक माध्यमों से लिखित रूप में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. यह करार इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली की तारीख को लागू होगा और तदुपरांत उसके बाद से प्रभावी होगा।

अनुच्छेद 13

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।

2. कोई भी संविदाकारी पक्ष दूसरे संविदाकारी पक्ष को राजनैयिक चैनलों के माध्यम से समाप्ति का लिखित नोटिस देकर करार के लागू होने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति के बाद इस करार को समाप्त कर सकता है।

3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4. इस करार के किसी समापन के बावजूद, दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार के अन्तर्गत प्राप्त की गई किसी सूचना के बारे में अनुच्छेद-8 के उपबंधों से बाध्य रहेंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

नई दिल्ली में तारीख 11 अप्रैल, 2016 को अंग्रेजी और हिन्दी में दो मूल प्रतियों में निष्पादित, दोनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से:	मालदीव्स गणराज्य की सरकार की ओर से:
(अतुलेश जिंदल)	(अहमद मोहम्मद)
अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड	भारत में मालदीव गणराज्य के उच्चायुक्त

[अधिसूचना सं. 76/2016/ फा.सं. 500/79/2008-एफटीडी-II]

रजत बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd September, 2016

(Income-Tax)

S.O. 2865(E).—Whereas, an Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives for the Exchange of Information with respect to Taxes (hereinafter referred to as the said Agreement) as set out in the Annexure to this notification, was signed at New Delhi on the 11th day of April, 2016;

And whereas, the said Agreement entered into force on the 2nd day of August, 2016 being the date of the later of the notifications of the completion of the procedures required by the respective laws for entry into force of the said Agreement, in accordance with paragraph 2 of Article 12 of the said Agreement;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that all the provisions of said Agreement, as annexed hereto as Annexure, shall be given effect to in the Union of India, in accordance with Article 12 of the said Agreement.

ANNEXURE

AGREEMENT

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALDIVES

FOR

THE EXCHANGE OF INFORMATION

WITH RESPECT TO TAXES

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Maldives, desiring to facilitate the exchange of information with respect to taxes have agreed as follows:

Article 1

Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Contracting Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment and collection of such taxes, the recovery and enforcement of tax claims, or the

investigation or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2

Jurisdiction

A Requested Party is not obliged to provide information which is neither held by its authorities nor is in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

a) in India, taxes of every kind and description imposed by the Central Government or the Governments of political subdivisions or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied;

b) in Maldives, taxes of every kind and description imposed by the Government in accordance with the law irrespective of the manner in which they are levied;

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting Parties shall notify each other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures which may affect the obligations of that Party pursuant to this Agreement.

Article 4

Definitions

3. For the purposes of this Agreement, unless otherwise defined:

a) the term "India" means the territory of India and includes the territorial sea and airspace above it, as well as any other maritime zone in which India has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the Indian law and in accordance with international law, including the U.N. Convention on the Law of the Sea;

b) the term "Maldives" means the territory of the Maldives and includes its territorial sea, continental shelf, sea-bed, sub-soil (and their natural resources) and airspace, as well as any maritime zone in which the Maldives has sovereign rights, other rights and jurisdiction, according to the law of the Maldives and in accordance with international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea;

c) the term "Contracting Party" means India or Maldives as the context requires;

d) the term "competent authority" means

(i) in the case of India, the Finance Minister, Government of India, or his authorized representative;

(ii) in the case of Maldives, the Maldives Inland Revenue Authority, or its authorized representative;

(e) the term "person" includes an individual, a company, a body of persons and any other entity which is treated as a taxable unit under the taxation laws in force in the respective Contracting Parties;

(f) the term "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

(g) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

(h) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

(i) the term "recognised stock exchange" means

(i) in India, the National Stock Exchange, the Bombay Stock Exchange, and any other stock exchange recognised by the Securities and Exchange Board of India;

(ii)in Maldives, the Maldives Stock Exchange; and

(iii) any other stock exchange which the competent authorities agree to recognise for the purposes of this Agreement.

j) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form.

k) the term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

l) the term "tax" means any tax to which this Agreement applies;

m) the term "requesting Party" means the Contracting Party-

(i)submitting a request for information to, or

(ii)having received information from,

the requested Party.

n) the term "requested Party" means the Contracting Party-

(i)which is requested to provide information, or

(ii)which has provided information.

o) the term "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Contracting Party to obtain and provide the requested information;

p) the term "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;

q) the term "national" means:

(i)any individual possessing the nationality of a Contracting Party;

(ii)any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting Party.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Contracting Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires or the competent authorities agree to a common meaning pursuant to the provisions of Article 11 of this Agreement, have the meaning that it has at that time under the law of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, that Party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, collective investment funds or schemes, trusts, foundations and other persons, including, within the constraints of Article 2,

ownership information on all such persons in an ownership chain; in the case of collective investment funds or schemes, information on shares, units and other interests; in the case of trusts, information on settlors, trustees and beneficiaries; in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and equivalent information in case of entities that are not collective investment funds or schemes, trusts or foundations.

5. This Agreement does not create an obligation on the Contracting Parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting Party shall provide the following information to the competent authority of the requested Party when making a request for information under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

a) the identity of the person under examination or investigation;

b) the period for which information is requested;

c) a statement of the information sought including its nature and the form in which the requesting Party wishes to receive the information from the requested Party;

d) the tax purpose for which the information is sought;

e) grounds for believing that the information requested is present in the requested Party or is in the possession or control of a person within the jurisdiction of the requested Party;

f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the requested information;

g) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;

h) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested Party shall forward the requested information as promptly as possible to the requesting Party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting Party and shall notify the competent authority of the requesting Party of deficiencies in the request, if any, within 60 days of the receipt of the request.

b) If the competent authority of the requested Party has been unable to obtain and provide the information within 90 days of receipt of the request, including if it encounters obstacles in furnishing the information or it refuses to furnish the information, it shall immediately inform the requesting Party, explaining the reason for its inability, the nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax Examinations Abroad

1. At the request of the competent authority of the requesting Party, the requested Party may allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its domestic laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one Contracting Party, the competent authority of the other Contracting Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Contracting Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7

Possibility of Declining a Request for information

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:

   a) where the request is not made in conformity with this Agreement; or

   b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or

   c) where disclosure of the information would be contrary to public policy (ordre public) of the requested Party.

2. This Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation:

   a) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in paragraph 4 of Article 5 shall not be treated as such a secret or trade process merely because it meets the criteria in that paragraph; or

   b) to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

      a. produced for the purposes of seeking or providing legal advice or

      b. produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings; or

   c) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practices of the Contracting Party, provided nothing in this subparagraph shall affect the obligations of a Contracting Party under paragraph 4 of Article 5.

3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain in similar circumstances under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request from the requested Party under this Agreement.

5. The requested Party shall not decline to provide information solely because the request does not include all the information required under Article 5 if the information can otherwise be provided according to the law of the requested Party.

6. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this Agreement shall be treated as confidential and may be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) in the jurisdiction of the Contracting Party concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or authorities shall use such information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. The information may not be disclosed to any other person or entity or authority or any other jurisdiction without the express written consent of the competent authority of the requested Party.

Article 9

Administrative costs

1. Unless the competent authorities of the Contracting Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and, subject to the provisions of this Article, extraordinary costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise necessary to comply with the request) shall, if they exceed USD 500, be borne by the requesting Party.

2. The competent authorities will consult each other, in advance, in any particular case where extraordinary costs are likely to exceed USD 500 to determine whether the requesting Party will continue to pursue the request and bear the cost.

3. The competent authorities shall consult each other as and when necessary with regard to this Article.

Article 10

Implementation Legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

Article 11

Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement. In addition, the competent authorities of the Contracting Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 9 of this Agreement.

2. The competent authorities of the Contracting Parties may communicate with each other directly for purposes of reaching agreement under this Article.

Article 12

Entry into Force

1. The Contracting Parties shall notify each other in writing, through diplomatic channels, of the completion of the procedures required by the respective laws for the entry into force of this Agreement.

2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 of this Article and shall thereupon have effect forthwith.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either Contracting Party.

2. Either Contracting Party may, after the expiry of five years from the date of entry into force, terminate this Agreement by serving a written notice of termination to the other Contracting Party through diplomatic channels.

3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Contracting Party. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the provisions of the Agreement.

4. Notwithstanding any termination of the Agreement the Contracting Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Agreement.

DONE in duplicate at New Delhi this 11th day of April, 2016, each in the English and Hindi languages, both texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the
Republic of India:

(ATULESH JINDAL)
Chairman, Central Board of Direct Taxes

For the Government of the
Republic of Maldives:

(Ahmed Mohammed)
High Commissioner of the
Republic of Maldives to India

[Notification No. 76/2016/ F. No. 500/79/2008-FTD-II]

RAJAT BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

HARINDRA KUMAR
Digitally signed by HARINDRA KUMAR
Date: 2016.09.08 12:48:13 +05'30'